



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखापटनम क्षेत्र Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापटनम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in



स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. 11/2021
दिनांक : 17.06.2021

विषय :- स्थापना - विशाखापटनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड) में
अधीक्षक
संवर्ग में तैनाती के संबंध में ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और विकास आयुक्त, वीएसईजेड के परामर्श से, यथा निर्देशित त, केंद्रीय कर अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को, विशाखापटनम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में संवर्ग पदों के विरुद्ध विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तैनाती के लिए, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापटनम के नियंत्रण में रखा गया है :-

क्रमांक	अधि कारी का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन
1	एम. विजयकृष्ण	वैजाग लेखा परीक्षा
2	एस. मधुबाबु	वैजाग लेखा परीक्षा
3	सादिक अली खान	वैजाग लेखा परीक्षा
4	जे. प्रवीण कुमार	मु. आ. का., विशाखापटनम क्षेत्र
5	वीएसएस गिरीजाकुमार	मु. आ. का., विशाखापटनम क्षेत्र
6	के. वी. अप्पलाचार्युलु	वैजाग जीएसटी
7	बी. चंद्रमोहन	सीपीसी, विजयवाडा
8	के. रामाराव	वैजाग लेखा परीक्षा
9	जी. आंजनेय प्रसाद	वैजाग जीएसटी
10	एस. सूर्यनारायण	वैजाग जीएसटी
11	रत्नेश कुमार	मु. आ. का., विशाखापटनम क्षेत्र
12	मो. असलम उस्मानी	गुंटुर जीएसटी
13	टी. रवि किशोर	वैजाग जीएसटी
14	एन. कांता राजू	वैजाग जीएसटी
15	एन. सी. वीर राघव	तिरुपति जीएसटी

2. बोर्ड के पत्र फा.सं.ए/35017/39/2008-एडी.॥ दिनांक 27.03.2009 के अनुसार, उपरोक्त अधिकारियों को विकास आयुक्त, विशाखापटनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड) के नियंत्रण में उनके द्वारा विकास आयुक्त, वीएसईजेड के समक्ष रिपोर्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए रखा गया है । 2 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा होने पर एसईजेड में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल का विस्तार विकास आयुक्त की सिफारिश और प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क, विशाखापटनम जोन के अनुमोदन की शर्त पर है।

3. उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए अधिकारियों को उनके नाम के सामने नीचे दर्शाई गई तारीखों पर कार्यमुक्त किया जाएगा:

i. श्री. जे. प्रवीण कुमार, अधीक्षक	15-9-2021
ii. श्री. वी.एस.एस. गिरिजा कुमार, अधीक्षक	30-7-2021
iii. श्री. रत्नेश कुमार, अधीक्षक	30-7-2021
iv. श्री. एन. कांथा राजू, अधीक्षक	30-7-2021
v. श्री. एन सी वीरा राघव, अधीक्षक	30-7-2021

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों को 30-6-2021 तक कार्यमुक्त किया जाएगा ताकि वे विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम के समक्ष रिपोर्ट कर सकें। अधिकारियों को कार्यमुक्त करने के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट संबंधित आयुक्तालयों द्वारा दिनांक 01.07.2021 तक, 2-8-2021 तक और 16-9-2021 तक जो लागू हो, भेजी जाए।

4. अधिकारी अपने संबंधित प्रभारों/अनुभागों के लंबित मामलों/मुद्दों के लिखित विवरण के साथ कार्यमुक्त करने वाले अधिकारियों को उचित रूप से प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे और जीएफआर-33 प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

5. इसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क, विशाखापत्तनम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.
(वाई भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त

[फाइल सं.जीसीसीओ.॥(3)/38/2021-स्था. से जारी]

सेवा में
संबंधित व्यक्तियों को (संबंधित आयुक्तालयों) के माध्यम से)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापत्तनम/गुंटूर/तिरुपति/लेखा परीक्षा आयुक्तालय।
2. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), विजयवाड़ा।
3. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं सवितरण अधि कारी, विशाखापत्तनम/गुंटूर/तिरुपति/लेखा परीक्षा आयुक्तालय, सीमा शुल्क (निवारक), विजयवाड़ा।
4. वेतन एवं लेखा अधि कारी, अधि कारी, विशाखापत्तनम/गुंटूर/तिरुपति।
5. वेबसाइट/स्टॉक फाइल।